झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/15/17–95 ,राँची/दिनांकः 25/08/2017

NEET (UG) -2017 के परीक्षाफल आधारित एम.बी.बी.एस.(M.B.B.S) तथा बी.डी.एस.(B.D.S)पाठ्यक्रमों में नामांकन के निमित्त Mop-up Round साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या जे.सी.ई.सी.ई.बी. 15/17-90 दिनांक 22.08.2017 के आलोक में Mop-up Round साक्षात्कार हेतु नई राज्य मेधा–सूची तैयार करने के निमित्त NEET (UG)- 2017 में शामिल अर्हरित (Eligible) उम्मीदवारों से दिनांक–25.08.2017 को निर्धारित समय तक प्राप्त आवेदन पत्रों तथा पूर्व में जारी संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को शामिल कर समेकित रूप से मेधा के आधार पर पर्षद द्वारा तैयार की गई नई राज्य मेधा–सूची अधिकृत वेबसाईट http..//jceceb.jkarkhand.gov.in में home page पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना NEET (UG)- 2017 क्रमांक (Roll Number) प्रविष्ट कर, नई राज्य मेधा–सूची प्राप्त/डाउनलोड कर सकते हैं।

2. NEET (UG)- 2017 के आधार पर तैयार नई राज्य मेधा–सूची से पर्षद द्वारा दिनांक 27.08.2017 से चालू Mop-up Round साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को राज्य स्थित चिकित्सा (सरकारी) तथा दन्त–चिकित्सा (सरकारी एवं गैर–सरकारी) महाविद्यालयों के एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यकमों के प्रथम् वर्ष में नामांकन हेतु अनुशंसित किये जायेंगे। साक्षात्कार में Medical Council of India, New Delhi तथा Dental Council of India, New Delhi द्वारा कमशः MBBS (UG) तथा BDS (UG) पाठ्यकमों में नामांकन के लिए निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3. Mop-up Round साक्षात्कार में नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं कराये जाने पर वैसे अभ्यर्थियों पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची द्वारा निर्गत संकल्प (ज्ञापांक–9/चि0महा0–07–08/14–230(9) राँची दिनांक 22.12.2015) जो राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में यू0जी0/पी0जी0 कोर्स में शतप्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने ...., से संबंधित है, की कंडिका–2 में दिये गये प्रावधान लागू होंगे। संबंधित प्रावधान निम्नवत है :–

"............यदि कोई छात्र Final counselling के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो वैसे छात्रों को झारखण्ड में उक्त कोर्स में नामांकन हेतु NEET U.G./P.G. अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अगले एक शैक्षणिक सत्र के लिए वंचित कर दिया जायेगा। ...."

4. साक्षात्कार, Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से की जाएगी। संस्थानवार/शाखावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर "Live (Current) seat Matrix of Medical & Dental" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।

5. प्रथम्/द्वितीय साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्ववत् सीट/पाठ्यक्रम /संस्थान के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति या संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं। संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा सीट/पाठ्यकम/संस्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

6. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईस/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र **(ग)** NEET (UG)-2017 के आधार पर Mop-up Round साक्षात्कार के लिये निर्गत नई राज्य मेधा–सूची की Download प्रति **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त {Deputy Commissioner} द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ड़)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। **(च)** दिब्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा

निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र **(छ)** पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ड़) में वर्णित प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा पुराने प्रपत्र में निर्गत है या अद्यतन प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने अद्यतन प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन इस शर्त्त के साथ ही किया जायेगा कि वे आवंटित संस्थान में नामांकन के समय स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभागए राँची के पत्रांक–9/नामांकन–02–02/17–363(9) दिनांक 27.07.2017 के द्वारा निर्गत शपथ पत्र के आलोक में निर्गत विहित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा कर देंगे।

7. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका 6 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आबंटन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

8. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल–प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

9. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (a) :– साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

10. **आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।**

11. साक्षात्कार स्थल :— झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम—तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

12. साक्षात्कार, राज्य—संयुक्त मेधा—सूची (State Combined Merit List) के मेधाक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC–I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार, निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रमों/संस्थानों के साथ—साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रमों/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण—पत्र अवश्य लावें।

13. NEET (UG)- 2017 के आधार पर तैयार नई राज्य मेधा—सूची से एम॰बी॰बी॰एम॰ (M.B.B.S.) एवं बी॰डी॰एस॰ (B.D.S.) पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु सफल अभ्यर्थियों के पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :—

13.2 As per State CML Rank (राज्य संयुक्त मेधाक्रमानुसार)				
Sl. No.	**Category**	**State CML Rank Range**		**Counselling Date & Time**
		From	**To**	
1.	As per State CML Rank	1	1000	27.08.2017 /10:00 AM
2.	As per State CML Rank	1001	2903	28.08.2017 /10:00 AM

14. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान आबंटन की गारंटी नहीं है।

15. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण—पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

16. जिन अभ्यर्थियों के कमांक उपरोक्त कंडिका 13 में अंकित नई राज्य मेधा—सूची के अंतर्गत मेधा—अंतराल में शामिल हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि वे इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। इस सूचना के आधार पर ही वे निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

17. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाकमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाकमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी

स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध सीटों/पाठ्यक्रमों/संस्थानों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

18. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और या दूरभाष सं॰ 0651–6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सुरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.)
परीक्षा नियंत्रक